

17/5/22

Not
press
~~h~~
AC

पत्रावली घेरा । जर्गी अधिकारी श्री चकलचन्द
विश्वेरे के मासिक निवेदन पर पेश हुई ।
जर्गी वकील की ओर से वकील चकलचन्द
विश्वेरे द्वारा जर्गीना पत्र पर (136 RLR Act)
को नोट पेस जाहिर का निवेदन किया कि
उक्त प्रकार न्यायालय में मही चलाना

चाहता हूँ । अतः जर्गीना पत्र जरिए
नोट पेस स्वीरिज फरमावे । पत्रावली
का अवलोकन किया गया, सुना गया ।
जर्गी जरिए वकील स्वयं अपना प्रकार
चलाना मही चाहते हैं । अतः जर्गीना पत्र
(136 RLR Act) जरिये नोट पेस
इसी त्तर पर स्वीरिज किया जाता है ।
पत्रावली में सब शुमार होना जरूर
ले कर होकर पारिवल फरमा हो ।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

